न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या : 19/2025
दायर दिनांक : 01/05/2025
निर्णय दिनांक : 09/10/2025

उनवान

1 उदयलाल पिता मोडा नायक निवासी भूपालसागर तहसील भूपालसागर

प्रार्थीगण

बनाम

1. भगवती प्रसाद पिता हरिप्रसाद निवासी भूपालसागर तहसील भूपालसागर
2. उदयलाल पिता अमरा कुमावत निवासी भूपालसागर तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। पत्रावली पेश हुई, अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से वकील श्री एस के बापना ने अधिकार पत्र व जवाब पेश किया। अप्रार्थीगण संख्या 2 पूर्व में उपस्थित आए और पत्थरगढी करने में कोई आपत्ति नही बताई । प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत धारा–128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि **प० ह० भूपालसागर खाता स० 29 के हाल आराजी न० 843 रकबा 0.8100 है० आ०न० 844 रकबा 0.5900 है० कुल किता 2 कुल रकबा 1.400 है०** भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 09/10/2025 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर, जिला–चित्तौडगढ

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.11.07 10:46:23 IST
Reason: SelfAttested